



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 17/2026/D-45

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 283961 दिनांक 18/02/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (E-Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Narayan Lal Yadav S/o Balu Ram Yadav एवं Mahesh Yadav S/o Chouthu Ram Yadav एवं Kailash Chand Yadav S/o Chouthu Ram Yadav एवं Mali Ram Yadav S/o SHANKAR LAL YADAV	श्री नारायण, चैथमल, ग्यारसी देवी	KC5	75.00 SQ. METER	JDA	SWAPANLO K Sector/Block-K	Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (E-Patta)	अपलोड मृत्यु प्रमाण के अनुसार दिनांक 21.08.2004 को ग्यारसी देवी की दिनांक 02.05.2015 को चैथमल की मृत्यु हो गई है। उक्त मृतके वारिसों द्वारा जरिये रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र के आधार पर श्री कैलाश चन्द यादव व महेश यादव के पक्ष में दिनांक 28.02.2019 को हकत्याग कर दिया गया है। तथा ग्यारसी देवी के वारिसों को जरिये रजिस्टर्ड हकत्याग के आधार पर श्री मालीराम यादव को दिनांक 29.11.2019 का हकत्याग कर दिया गया है।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (E-Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Narayan Lal Yadav S/o Balu Ram Yadav एवं Mahesh Yadav S/o Chouthu Ram Yadav एवं Kailash Chand Yadav S/o Chouthu Ram Yadav एवं Mali Ram Yadav S/o SHANKAR LAL YADAV को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।

श्रीदक्षित पत्रावली।

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |